

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- मा० मुख्य मन्त्री घोषणा सेख्या -418/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत ~~मडकनाली सुरखाल~~ ^{पाहलू} मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 7.550 किमी० में पड़ने वाली 3.20 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - गानुरा।

तहसील-गंगोलीहाट, जिला-पिथौरागढ़


अनापत्ति प्रमाण पत्र


मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत ~~मडकनाली सुरखाल~~ ^{पाहलू} मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.900 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.800 हे० वन पंचायत भूमि एवं मलुवानिस्तारण हेतु वन भूमि 0.400 है। अर्थात् कुल 3.100 हे० वन भूमि का अ० ख०, लो० नि० वि० बेरीनाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खतीगौव द्वारा दिनांक 11/06/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गानुरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ० ख०, लो० नि० वि० बेरीनाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- 
 ग्राम पंचायत अधिकारी
 तहसील-गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)
 ग्राम सचिव
 11/6/2019


 ग्राम पंचायत गानुरा
 तहसील-गंगोलीहाट, पिथौरागढ़
 ह०/-
 ग्राम प्रधान
 कमला देवी
 11/6/2019

प्रपत्र-23.1

दिनांक:- 11/06/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- गानुरा।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	किशन सिंह	किशन सिंह
2	पुताप सिंह	पुताप सिंह
3	पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
4	हुगार सिंह	हुगार सिंह
5	गंगू सिंह	गंगू सिंह
6	दीपक सिंह	दीपक सिंह
7	देवकी देवी	देवकी देवी
8	कुमला देवी	कुमला देवी
9	दिवान सिंह	दिवान सिंह
10	पुताप सिंह	पुताप सिंह
11	किशन सिंह	किशन सिंह
12	नारायण सिंह	नारायण सिंह
13	रमेश सिंह	रमेश सिंह
14	मेहरा सिंह	मेहरा सिंह
15	चन्द्र सिंह	चन्द्र सिंह
16	मन्जु देवी	मन्जु देवी
17	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
18	पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
19	हुगार सिंह	हुगार सिंह
20	जगदीश राय	जगदीश राय
21	कुमला देवी	कुमला देवी
22	ठाकुर सिंह	ठाकुर सिंह
23	महन्त सिंह	महन्त सिंह
24	किशन सिंह	किशन सिंह
25	रमेश सिंह	रमेश सिंह
26	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
27	दीपा देवी	दीपा देवी
28	भयन सिंह	भयन सिंह
29	दास सिंह	दास सिंह
30	आन सिंह	आन सिंह
31	भीम सिंह	भीम सिंह
32	हर सिंह	हर सिंह
33	पूरन सिंह	पूरन सिंह
34	तिलोक सिंह	तिलोक सिंह
35	केशर सिंह	केशर सिंह
36	देव सिंह	देव सिंह
37	नारायण सिंह	नारायण सिंह

ह0/-

ग्राम प्रधान

कुमला देवी
प्रधान

ग्राम पंचायत गानुरा
प्ल0 मंचोबीसट, निबारागढ़

कुमला देवी
14/6/2019

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में मड़कनाली सुरखाल पाक मोटर मार्ग

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गंगोलीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, गंगोलीहाट

उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत मड़कनाली सुरखाल पाक मोटर मार्ग हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.300 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.80 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.100 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गंगोलीहाट) की दिनांक 12-08-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरभ मीरवाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सौरभ मीरवाल उपजिलाधिकारी गंगोलीहाट अध्यक्ष
- 2- श्री नवीन चड्ढा उप प्रभागीय वनाधिकारी वेरीनाग सदस्य
- 3- श्री महि चड्ढा सहायक समाज कल्याण अधिकारी वेरीनाग सदस्य/सचिव
- 4- श्री अमन सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र ब०००-गंगोलीहाट सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

मड़कनाली सुरखाल पाक मोटर मार्ग

परियोजना हेतु 3.100 हे० वन

भूमि लोक निर्माण विभाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वेरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत
~~प्रखण्ड नाली सुररबाल पाठक~~ परियोजना के निर्माण हेतु 3.10.....
हे० वन भूमि P.W.D. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— गंगोलीहाट
जनपद— पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Gaharwal
उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— गंगोलीहाट
जनपद— पिथौरागढ़

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड गंगोलीहाट
दि० 12/8/2019

खण्ड विकास अधिकारी
गंगोलीहाट
दि० 12/8/2019

प्रमाणित वनाधिकारी
बेरीनाग
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

गिरिश कुमार
सदस्य
क्षेत्र पंचायत गंगोली
गंगोलीहाट
दि० 12/8/2019

सदस्य
क्षेत्र पंचायत गंगोली
वि.ख.-गंगोलीहाट
दि० 12/8/2019

1.6

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Pithoragarh

No---

Dated-----20/3/2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliances of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.100** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Berinag (name of user agency) for **Madaknaali to Surkhal Pathak** motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Madaknaali & Surkhal Pathak village (s) in Gangolihaat.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.100** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

1.6

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. *Anand Swarup* I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated ~~20.3.21~~ at time ~~11.00 AM~~ at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring 3.100 hect for the construction of for **Madaknaali to Surkhal Pathak Moter Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Berinag** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh

Dated: ~~20.3.21~~ 2021

[Signature]
Deputy Commissioner cum-Chairman

पिथौरागढ़
पिथौरागढ़

FORM-II
(For projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No---

Dated---20/3/2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitions of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.1 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **P.W.D. Berinag** (Name of user agency) for **Madaknaali to Surkhal Motore Road** (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh District falls within jurisdiction for **Madaknaali & Surkhal Pathak** village (s) in **Gangolihaat** tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....

the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 1(e) of the FRA

Eucl: As above.

9
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

पिथौरागढ़

परियोजना विवरण :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में मड़कनाली सुरखाल पाठक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 5.00कि०मी०मेंपडनेवाली3.100हे०वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

जिलास्तरीय समिति-पिथौरागढ़

उप खण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत मड़कनाली सुरखाल पाठक मोटर मार्ग में 0.00 हे० आ० वनभूमि 0.900 हे० सिविल एवं सोयम भूमि 1.800 हे० वन पंचायत भूमि मलवा निस्तारण हेतु 0.400हे० सिविल भूमि अर्थात् कुल 3.100 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील बेरीनाग) की दिनांक 20/3/21 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

- 1-श्री आनन्द रचकपू जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष।
- 2-श्री विनय कुमार भागीरथी प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य।
- 3-श्री डा. विद्या लाल कपूरी जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव।
- 4-श्री सुखदेव सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र
- 5-श्री गंगोली दत्तल सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र
- 6-श्री पुष्पा देवी सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पाताल मड़कनाली सुरखाल पाठक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.100 हे० वनभूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सदस्य जिला पंचायत, प्रभागीय वनाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिलाधिकारी, सदस्य वन पंचायत, सदस्य/सचिव, सदस्य/सचिव, जिलाधिकारी, अध्यक्ष, पिथौरागढ़

सदस्य
जिला पंचायत खेला 02
गारबूला (पिथौरागढ़)

श्रीमती शोभा दत्तल
सदस्य जिला पंचायत
गारबूला (पिथौरागढ़)
पुष्पा देवी
जिला पंचायत सदस्य
परियोजना पिथौरागढ़